

संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 06.09.2017 को मा० मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा की गयी घोषणा के अन्तर्गत जनपद बदायूँ में मेरठ बदायूँ मार्ग (राज्य मार्ग सं०-18) किमी० 163 से किमी० 208(400) तक के फोरलेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य का निरीक्षण प्रस्तावक विभाग अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोनिवि, बदायूँ एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ द्वारा किया गया, जिसमें जनपद बदायूँ में संरक्षित वन भूमि 64.60 है० एवं 11256 वृक्ष तथा इस क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में स्थापित 28 है० क्षेत्र में विशिष्ट वृक्षारोपण प्रभावित हो रहा है। प्रस्तावित कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि की माँग न्यूनतम तथा अपरिहार्य है एवं इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। प्रस्तावक द्वारा वन अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया गया है।


(इं० प्रमोद कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
नि० ख० लो० नि० वि०
बदायूँ।


(रत्नेश श्रीवास्तव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, बदायूँ
